राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, न, जयपुर

क्रमांक :– प.–135/एन.पी.एस./2015–16/ 45 दिनांक :– 7.03.17

कार्यालय आदेश

विषय :–सेवानिवृति/मृत्यु पश्चात् डी–एक्टिवेटेड प्रान से सम्बन्धित अनअपलोडेड एनपीएस राशि लौटाने/पेंशन मद में समायोजन के सम्बन्ध में

SA
9/ 8/3/17
299/ 8.3.17

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत सेवा निवृति एवं मृत्यु के प्रकरणों में जिसमें सीआरए (एनएसडीएल) द्वारा अंतिम भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है तथा प्रान डिएक्टिवेट हो जाने के पश्चात् यह ज्ञात होता है कि कुछ एनपीएस राशि का अपलोड होना शेष रह गया है अथवा क्लेम पारित होने के बाद कोई एरियर राशि का भुगतान किया गया है तथा इससे संबंधित एनपीएस राशि को प्रान में अपलोड नहीं किया जा सकता तो इस प्रकार की शेष राशि के भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाने के निर्देश दिये जाते हैं –

1. यदि लाभार्थी शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 12 (8) वित्त/नियम/2008/दिनांक 09.05.2013 एव समसंख्यक आदेश दिनांक 29.05.2015 में दिये गये प्रावधानो के तहत प्रोविजनल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ लेना चाहता है तथा यदि यह राशि 01.01.2004 से 31.10.2011 तक प्राप्त राशि है अर्थात् लीगेसी राशि की अवधि की है तो बीमा विभाग के जिलाधिकारी द्वारा संबंधित बजट मद अर्थात् 8011–00–106–03–(01)(02)या (03) (जिस मद से भी संबंधित है) के लिये कार्यालय आदेश जारी कर समायोजन के चालान से मद 0071–01–800–(04)(01) में समायोजित करवाकर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

2.यदि अनअपलोडेड शेष राशि 01.11.2011 अथवा उसके पश्चात् की अवधि की है तो इसके लिये मद 8011–00–106–03–(01)(02) या (03) जिस मद से भी संबंधित है के लिये कार्यालय आदेश जारी कर इस राशि बाबत पीडी खाता संख्या 479 से आहरण किया जावेगा एवं मद 2071–01–117–(01)–00–89 का एफवीसी बिल पारित करवाया जायेगा। इसके पश्चात् उपरोक्त दोनों राशि बाबत समायोजन के चालान से मद 0071–01–800–(04)(01) में समायोजित करवाकर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

3.यदि लाभार्थी शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग के ज्ञापन संख्या एफ12 (8) वित्त/नियम/2008/दिनांक 09.05.2013 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 29.05.2015 में दिये गये प्रावधानो के तहत प्रोविजनल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं लेना चाहता है अथवा जिन पर यह लागू नहीं होता है तो उपरोक्तानुसार कार्यालयादेश एवं एफवीसी बिल संबंधित लाभार्थी के पक्ष में जारी कर कोषाधिकारी से लाभार्थी के पक्ष में चैक अथवा आरटीजीएस की पद्धति से भुगतान की कार्यवाही करवायी जावे।

ह0
(एस.एस. सोहता)
निदेशक

क्रमांक :– प.–135/एन.पी.एस./2015–16/ 9320 दिनांक :– 7.3.17

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभाग।
2. अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम) मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
3. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,समस्त जिला कार्यालय।
4. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (एन.पी.एस.)